

46

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर०-34/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० संतोष कुमार झा, तत्कालीन ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास, मधुबनी के द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1868(25) दिनांक-03.09.2025 तथा बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 180 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है.-

i.	दिनांक-04.10.2016 को	- कुल-01 (एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-19.10.2016 को	- कुल-01 (एक) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iii.	दिनांक-01.01.2017 से 05.01.2017 तक	- कुल-05 (पाँच) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iv.	दिनांक-01.02.2017 से 03.02.2017 तक	- कुल-03 (तीन) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iv.	दिनांक-04.02.2017 से 10.02.2017 तक	- कुल-07 (सात) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/--

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-34/2024- 774(2) पटना, दिनांक 10 / 4 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल/पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, फुलपरास, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० संतोष कुमार झा, तत्कालीन ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, फुलपरास, मधुबनी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. Manoj Kumar
सरकार के उप सचिव।